XI गवर्नेन्स, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

वर्ष 2017-18 में अन्य बातों के साथ-साथ, मानव संसाधन विकास, उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम), लेखापरीक्षा प्रबंधन और राजभाषा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न उपाय किए गए। स्टाफ के बीच ज्ञान प्रसार की मुहिम के एक भाग के रूप में संरचित ई-अध्ययन पाठ्यक्रम लागू किए गए। आरबीआई नीति चुनौती जो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्द्धा है और जिसका लक्ष्य स्नातक/परा-स्नातक विद्यार्थी होते हैं, के तीसरे संस्करण को वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भारत सरकार को अंतरित किए जाने वाले अधिशेष के संबंध में बैंक के आर्थिक पूंजी स्तरों में चक्रीयता के प्रभाव को कम करने के लिए एक नियम आधारित सान्तर अधिशेष वितरण नीति (एसएसडीपी) को लागू किया गया। वेब-आधारित लेखापरीक्षा प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और विश्लेषण प्लेटफार्म नामत: लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) विकसित की जा रही है जो बैंक के भीतर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता और निरंतरता सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, क्षेत्रीय कार्यालय नीतियों को लागू करने के लिए उद्यम कर रहें हैं ताकि रिज़र्व बैंक के स्थापित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

XI.1 यह अध्याय 2017-18 के दौरान विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करता है और 2018-19 के लिए प्राथमिकताओं/कार्ययोजना निर्धारित करता है। यह गवर्नेंस गतिविधियों और नवीन भर्तियों के संदर्भ में मानव संसाधनों को सुदृढ़ बनाने एवं मौजूदा स्टाफ-सदस्यों की कुशलता और ज्ञान को विभिन्न नवोन्मेषी माध्यमों से अद्यतन करने के लिए बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण सहित रिज़र्व बैंक के संस्थानों में प्रशिक्षण देने, अध्ययन छुट्टी और संरचित ई-अध्ययन पाठ्यक्रमों के संबंध में चर्चा करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने और बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पोर्टल निर्माण जैसी व्यवस्थाओं से इन उपायों को और अधिक मजबूती प्राप्त हुई।

XI.2 जोखिम के एकीकृत मूल्यांकन और प्रबंधन को विकसित करने के दृष्टिकोण से उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क को तीन चरणों में लागू करने का कार्य 2017-18 में किया गया। बैंक के प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के लिए जोखिम रजिस्टरों को बनाने का कार्य जारी है और इसके पूरा होने पर बैंक की संपूर्ण जोखिम प्रोफाइल उपलब्ध हो जाएगी। यह बैंक में जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क लागू करने का आधार बनेगा। जुलाई 2017 में लेखापरीक्षा प्रबंधन एवं जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) मॉड्यूल को प्रारंभ करने के साथ ही लेखापरीक्षा प्रक्रिया का स्वचालन आरंभ हो गया है। सभी लेखापरीक्षाधीन कार्यालयों के लिए आरबीआईए अनुपालन मॉड्यूल अगस्त 2017 में सफलतापूर्वक प्रारंभ (लाइव) हो गया।

XI.3 व्यवधानों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक आघात सहनीय फ्रेमवर्क के रूप में मजबूत कारोबारी निरंतरता योजना (बीसीपी) स्थापित की गई है। आरबीआईए और नियंत्रित स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा के जरिए निगरानी करते हुए इलेक्ट्रानिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) को लागू करने के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य किया गया है। राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अलावा राजभाषा विभाग ने भी विभिन्न प्रशिक्षणों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जबकि परिसर विभाग ने रिज़र्व बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रख-रखाव और उन्नयन के लिए अपने प्रयास जारी रखे। संचलनगत मुद्रा की उपलब्धता, आरबीआई द्वारा विनियमित निकायों के पर्यवेक्षण एवं वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) केन्द्रीय कार्यालय में निर्मित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रयासरत रहे।

गवर्नेन्स ढांचा

XI.4 गवर्नर के साथ केन्द्रीय निदेशक मंडल रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस ढांचे का सर्वोच्च निकाय है। इसमें रिज़र्व बैंक के गवर्नर और उप गवर्नर, सरकारी अधिकारी और केन्द्र सरकार द्वारा नामित अन्य निदेशक आते हैं। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं, जो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में भारत सरकार (जीओआई) केन्द्रीय बोर्ड और स्थानीय बोर्डों में निदेशकों को नामित/ नियुक्त करती है।

XI.5 केन्द्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केन्द्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) । इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बोर्ड में भी चार उप-समितियां होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)। इन उप-समितियों की अध्यक्षता मुख्यत: बाह्य निदेशक करते हैं।

केन्द्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.6 जुलाई-जून 2017-18 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की छह बैठकें कोच्चि, मुंबई (तीन बैठकें), गिफ्ट सिटी (गांधीनगर) और नई दिल्ली में सम्पन्न हुईं। भारत के वित्त मंत्री ने 10 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित बजट-पश्चात बैठक को संबोधित किया।

XI.7 वर्ष के दौरान सीसीबी की 46 बैठकें हुईं जिसमें से 32 बैठकें इलेक्ट्रानिक रूप से आयोजित की गईं। सीसीबी में रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ ही इसके मौजूदा कारोबार पर चर्चा की गई। सीसीबी बैठकों में बाह्य निदेशकों को बारी-बारी से आमंत्रित किया गया।

XI.8 नए सदस्यों के नामांकन के बाद, पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड और पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने वर्ष के दौरान क्रमश: चार और तीन बैठकें आयोजित की। तथापि, विनिदिृष्ट संख्या पूरी न होने के कारण उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड और दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

XI.9 जिन क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड सक्रिय नहीं हैं उनमें शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), मुद्रा प्रबंधन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं का हल निकालने के लिए केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति 2014-15 में गठित की गई थी। वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र की स्थायी समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

निदेशकों की उपस्थिति

XI.10 केन्द्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित निदेशकों/सदस्यों की प्रतिभागिता संबंधी विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

केन्द्रीय बोर्ड/ स्थानीय बोर्ड : परिवर्तन

XI.11 अपना कार्यकाल समाप्त होने पर श्री एस. एस. मूंदड़ा ने 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न उप गवर्नर के रूप में अपना प्रभार त्याग दिया। श्री एम. के. जैन ने 22 जून 2018 को उप गवर्नर के रूप में कार्यभार सँभाला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर डॉ. राजीव कुमार, जिन्हें भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत नामित किया गया था, ने 4 सितंबर 2017 से भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में त्यागपत्र दे दिया।

XI.12 डॉ. नचिकेत एम. मोर को बैंक के पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड में पुन: नियुक्त किया गया और भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) और 8(1)(बी) के तहत 24 अगस्त

2017 से चार वर्षों के लिए केन्द्रीय बोर्ड में पुन: नामित किया गया।

XI.13 श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के तहत निदेशक के रूप में 12 जुलाई 2017 से श्री शशिकांत दास के स्थान पर नामित किया गया। श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भी भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के तहत निदेशक के रूप में 12 सितंबर 2017 से श्रीमती अंजली छिब दुग्गल के स्थान पर नामित किया गया।

XI.14 डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी जो क्रमश: दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्डों के सदस्य हैं, उन्हें भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के तहत 01 फरवरी 2018 से केन्द्रीय निदेशक मंडल में निदेशकों के रूप में नामित किया गया। उनके संबंधित कार्यकाल 8 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक विस्तारित रहेंगे। श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत 07 अगस्त 2018 से रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में चार वर्षों की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नामित किया गया है।

कार्यपालक निदेशक – परिवर्तन

XI.15 श्रीमती मीना हेमचंद्रा और श्रीमती दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक क्रमश: नवंबर 2017 और दिसंबर 2017 के अंत में सेवानिवृत्त हो गए। श्रीमती उमा शंकर और श्री ए.के. मिश्रा क्रमश: 04 दिसंबर 2017 और 01 जनवरी 2018 से परिणामी रिक्तियों के प्रति कार्यपालक निदेशकों के रूप में प्रोन्नत किए गए। श्रीमती सुधा बालाकृष्णन को 17 मई 2018 को बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। श्री के. के. वोहरा, और श्री ए. के. मिश्रा, कार्यपालक निदेशक क्रमश: 31 मई 2018 और 31 जुलाई 2018 को सेवानिवृत्त हो गए। श्रीमती रोज़मैरी सेबॅस्टियन और श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम 14 अगस्त 2018 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में प्रोन्नत की गईं।

मानव संसाधन संबंधी पहलें

XI.16 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) एक समर्थक और सुविधा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह करता है। यह प्रयास करता है कि रिज़र्व बैंक की नीतियों की प्रभावकारिता और साथ ही कार्यदल की कुशलता को ऐसे वातावरण में बढ़ाया जाए जो वैयक्तिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करे और आपसी टीमवर्क से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का लाभ उठाया जा सके।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.17 रिज़र्व बैंक अपने मानव संसाधन की तकनीकी और व्यावहारिक कुशलताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कुशलता प्रोन्नयन प्रदान करने का प्रयास करता है। यह कर्मचारियों को वैयक्तिक प्रगति प्रदान करने और कार्यस्थल पर उनकी प्रभावकारिता में सुधार लाने में भी मदद करता है। बैंक के प्रशिक्षण संस्थान, यथा: रिज़र्व बैंक स्टाफ-कॉलेज (आरबीएससी), चेन्नई; कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे; और मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में चार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र इसकी प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाएं पूरा करते हैं (सारणी XI.1)।

बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण

XI.18 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने भारत में बाह्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में 1041 अधिकारियों को नामित किया। वर्ष के दौरान भारत में बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान – आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2015-16 (जुलाई-जून)		2016-17 (जुलाई-जून)		2017-18 (जुलाई-जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई एकेडमी	---	---	9	317 (2)*(18)#	18	620 (24)#
आरबीएससी, चेन्नई	125	2,741 (50)*	129	3,346 (172)*	147	3,583 (281)*
सीएबी, पुणे	198	7,580 (69)*	173	5,788 (56)*	184	6,448 (42)*
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी I)	97	2,055	101	1,934	115	2,271
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी III)	102	2,247	104	2,130	100	2,109
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी IV)	38	807	33	758	36	802

*: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों के हैं।
#: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कैफरल सहित भारतीय बाह्य संस्थानों से संबंधित प्रतिभागियों के हैं।
---: लागू नहीं।
स्रोत: भारिबैं।

स्टाफ कर्मचारियों को भी नामित किया गया। इसके अलावा, बैंक ने विभिन्न देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहुमुखी संस्थाओं द्वारा आयोजित विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में 410 अधिकारियों को भाग लेने के लिए नामित किया (सारणी XI.2)।

अध्ययन छुट्टी योजना और स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप

XI.19 वर्ष के दौरान बैंक के चौदह अधिकारियों ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए योजनाओं (बैंक की स्वर्ण जयंती योजना के अतिरिक्त) का लाभ लिया। बैंक की प्रोत्साहन योजना के तहत चुनिंदा अंश-कालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में कुल 428 कर्मचारियों ने लाभ प्राप्त किया। वर्ष के दौरान बैंक की स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप योजना के तहत आठ अधिकारी विदेशी ख्याति-प्राप्त विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा का लाभ लेने के लिए चुने गए।

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2015 - 16	905	599
2016 - 17	816	506
2017 – 18	1041	410

स्रोत: भारिबैं।

अन्य पहलें

संरचित ई-अध्ययन

XI.20 स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूह को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने संरचित ई-अध्ययन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी जिसमें नवीनतर मॉड्यूलों को तैयार किया जाता है और बैंक की अध्ययन प्रबंधन प्रणाली पर होस्ट किया जाता है। बैंक के इंट्रानेट पर आरबीएससी, चेन्नई द्वारा 15 ई-अध्ययन मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के अधिकारियों को ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि क्षमता विकास के लिए आईएमएफ संस्थान द्वारा पेशकश किया जा रहा पाठ्यक्रम।

XI.21 वर्ष के दौरान बैंक की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप योजना के एक भाग के रूप में 152 विद्यार्थियों को चुना गया और उन्हें बैंक में इंटर्नशिप प्रदान की गई।

अनुदान और वृत्तिदान

XI.22 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी

अनुसंधान विकास संस्थान (आईजीआईडीआर) को ₹320 मिलियन; उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र (कैफरल), मुंबई को ₹60 मिलियन; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹6.8 मिलियन; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹15.7 मिलियन और लंदन स्कूल ऑफ ईकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया आब्जर्वेटरी और आई. जी. पटेल चेयर को ₹6.95 मिलियन की वित्तीय मदद प्रदान की।

औद्योगिक संबंध

XI.23 वर्ष के दौरान बैंक में मोटे तौर पर औद्योगिक संबंध मधुर बने रहे। रिज़र्व बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों/ स्टाफ-सदस्यों की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ सेवा स्थितियों और कर्मचारी कल्याण उपायों के विविध मामलों के संबंध में आवधिक बैठकें करना जारी रखा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नीति चुनौती

XI.24 भारतीय रिज़र्व बैंक नीति चुनौती जो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, का तीसरा संस्करण अक्तूबर 2017 में प्रारंभ हुआ और इसे तीन चरणों में नामत: क्षेत्रीय, आंचलिक और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर की शिक्षण संस्थाओं से गुणवत्ता पूर्ण प्रतिभागिता मिली जिससे स्नातक और परा-स्नातक विद्यार्थियों के बीच मौद्रिक नीति निर्माण के संबंध में ज्ञान वृद्धि करने के अपने लक्ष्यपूर्ति में सफलता प्राप्त हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (उत्तरी अंचल); भारतीय प्रबंध संस्थान, नागपुर (पश्चिमी अंचल); स्कूल ऑफ ईकोनॉमिक्स, हैदराबाद विश्वविद्यालय (दक्षिणी अंचल) और पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (पूर्वी अंचल) ने 26 अप्रैल 2018 को केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय निर्णायक मुकाबले हेतु पात्रता हासिल की जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर विजयी हुआ।

सारणी XI.3: 2017* में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती

भर्ती श्रेणी	श्रेणी-वार संख्या						
	कुल	*जिसमें से*			कुल का प्रतिशत		
		अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी I	212	30	10	62	14.15	4.72	29.25
श्रेणी III	579	107	41	176	18.48	7.08	30.40
श्रेणी IV							
(ए) रखरखाव सहायक	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
(बी) अन्य	10	0	0	2	0.00	0.00	20.00
कुल	**801**	**137**	**51**	**240**	**17.10**	**6.37**	**29.96**

*: जनवरी से दिसंबर 2017।
स्रोत: भारिबैं।

भर्ती और स्टाफ-संख्या

XI.25 वर्ष 2017 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक ने 801 कर्मचारियों की भर्ती की। इनमें से 137 अनुसूचित जातियों (एससी), 51 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और 240 अन्य पिछड़ा संवर्गों (ओबीसी) से संबंधित है जो कुल मिलाकर कुल की गई भर्तियों का 53.43 प्रतिशत है (सारणी XI.3) ।

XI.26 31 दिसंबर 2017 की स्थित के अनुसार रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पूर्व के 15,461 की तुलना में 14,785 थी। कुल स्टाफ संख्या में से 19.03 प्रतिशत एससी श्रेणी, 6.65 प्रतिशत एसटी श्रेणी और 15.66 प्रतिशत ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं (सारणी XI.4)। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या 14,184 है।

XI.27 वर्ष 2017 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान प्रबंध-तंत्र और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट फेडरेशन के बीच चार बैठकें सम्पन्न हुईं ताकि रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी दो बैठकें आयोजित की गईं।

XI.28 रिज़र्व बैंक में दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार भूत-पूर्व सैनिकों की कुल संख्या 900 है। इसमें से श्रेणी I

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			अजा		अजजा		अपिव		अजा	अजजा	अपिव
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6781	6955	993	1052	408	444	650	850	15.13	6.38	12.22
श्रेणी III	4017	3831	620	572	234	211	848	892	14.93	5.51	23.28
श्रेणी IV	4663	3999	1388	1190	368	328	635	573	29.76	8.20	14.33
कुल	**15461**	**14785**	**3001**	**2814**	**1010**	**983**	**2133**	**2315**	**19.03**	**6.65**	**15.66**

*: दिसंबर अंत।
स्रोत: भारिबैं।

में 194, श्रेणी III में 201 और श्रेणी IV में 505 नियुक्त हैं। 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार श्रेणी I, श्रेणी III और श्रेणी IV में दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश: 182, 74 और 75 है (सारणी XI.5)। वर्ष के दौरान 28 भूत-पूर्व सैनिकों और 14 दिव्यांगों की भर्ती की गई (सारणी XI.6)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.29 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सन् 1998 से एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गयी है, जिसे 2014-15 में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम एवं नियम, 2013 के अनुसरण में नए व्यापक दिशानिर्देश जारी कर उन्हें और मजबूत किया गया है। इस संबंध में 2017 में एक शिकायत प्राप्त हुई और उसका निराकरण किया गया।

XI.30 वर्ष के दौरान, बैंक में जिन प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है उनके विषय में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं साथ ही स्टाफ को इन मामलों में संवेदनशील किया गया। नव नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम के विषय में जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। इसके अतिरिक्त, बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नव नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान लिंग भेद संवेदनशीलता पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए। आरबीएससी, चेन्नै शिकायत समितियों के सदस्यों के लिए भी लिंग भेद संवेदनशीलता पर कार्यक्रम आयोजित करता

सारणी XI.5: भूत-पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की कुल संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या	भूत-पूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्लूडी (दिव्यांग व्यक्ति)			
			दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	आर्थोपेडिक दिव्यांग (ओएच)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी I	6955	194	28	11	143	182
श्रेणी III	3831	201	21	5	48	74
श्रेणी IV	3999	505	4	7	64	75
Total	**14785**	**900**	**53**	**23**	**255**	**331**

*: दिसंबर 2017 के अंत की स्थिति।
स्रोत: भारिबैं।

सारणी XI.6: भूत-पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की वर्ष 2017 के दौरान की गई भर्तियां*

श्रेणी	कुल संख्या	भूत-पूर्व सैनिक (ईएसएम)	दिव्यांग (अक्षमता युक्त व्यक्ति)			
			दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	आर्थोपेडिक दिव्यांग (ओएच)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी I	13	6	4	1	2	7
श्रेणी III	19	12	4	0	3	7
श्रेणी IV	10	10	0	0	0	0
कुल	**42**	**28**	**8**	**1**	**5**	**14**

स्रोत: भारिबैं।

आया है। आरबीएससी, चेन्नै द्वारा सलाहकारों के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.31 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना को लेकर 15,425 अनुरोध एवं 1,383 अपील प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम के विषय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पोर्टल

XI.32 बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एन्टर्प्राइज़ नॉलेज पोर्टल (ईकेपी) के हिस्से के रूप में एक पोर्टल 1 जनवरी 2018 से खोला गया था ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंक की उन गतिविधियों के संपर्क में रहने में आसानी हो सके जिसका उन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हो।

मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति (सीएफओ)

XI.33 बैंक द्वारा एक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) की नियुक्ति की गई जिनके द्वारा उन विभागों के कार्यों की निगरानी की जाएगी जिनका सरोकार सरकारी लेनदेन एवं राजस्व संग्रहण, बजट निरूपण, सूचना संग्रहण और बजट अनुमान के मुकाबले बैंक के वास्तविक कार्य-निष्पादन की तुलना के साथ ही वित्तीय जोखिमों का सामना/ को कम करने के लिए कार्यनीति बनाने से है। सीएफओ बैंक की सटीक वित्तीय जानकारी एवं नियत समय पर प्रस्तुतिकरण तथा रिपोर्टिंग के लिए भी उत्तरदायी होगा। सीएफओ, निर्धारित लेखांकन नीतियों व पद्धतियों के अतिरिक्त वित्तीय विनियमनों एवं मानकों के अनुपालन की जांच करेगा।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.34 सोशल मीडिया द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए, स्टाफ सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर एक उपयुक्त नीति बनाई गई है।

XI.35 खेल को लेकर विज़न दस्तावेज लागू करने के लिहाज से शुरू की गई पहल के रूप में उत्कृष्टता के दायरे में रहने वाले खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के लिए मेन्टर्स उपलब्ध कराए गए।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.36 चुनिंदा ग्रेड में अधिकारियों के लिए करियर के दौरान अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार किया गया है। उत्तराधिकार योजना के संबंध में सुस्पष्ट योजना भी बनाई जा रही है।

रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

XI.37 रिज़र्व बैंक को पेश आ रहे जोखिमों के संबंध में उसकी स्पष्ट जोखिम नीतियों के अनुसार एकीकृत आकलन एवं प्रबंधन विकसित करने के लिए फरवरी 2012 में एक उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंध (ईआरएम) फ्रेमवर्क अपनाया गया था, जो यह दर्शाता है कि रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन 'संकेन्द्रित दृष्टिकोण' (साइलो आधार) से हटकर 'समग्र कारोबारी नज़रिया' अपनाने की ओर अग्रसर है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

बैंक की सान्तर अधिशेष वितरण नीति (एसएसडीपी) का विकास

XI.38 रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी (ईसी) के स्तरों के ऐतिहासिक विश्लेषण के अनुसार बाज़ार पर असर डालने वाले कारकों में उतार-चढ़ाव की वजह से बैंक के ईसी में साफ़ तौर पर चक्रीय रुझान दिखता है। मूल्यन बफर में उतार-चढ़ाव न केवल बाजार के गति सिद्धान्तों बल्कि बैंक की लोक नीति के उद्देश्यों की वजह से भी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, काफी मात्रा में खुली विदेशी मुद्रा स्थिति बनाए रखने की अनिवार्यता को दर्शाता है। अतः, चक्रीयता (साइक्लिकैलिटी) को कम करने की दृष्टि से, प्रावधानीकरण आवश्यकता और फलस्वरूप भारत सरकार को अंतरण करने योग्य उपलब्ध अधिशेष निर्धारित करने के लिए नियम-आधारित कार्यपद्धति लागू करते हुए एक वैकल्पिक नियम आधारित दृष्टिकोण, अर्थात, सान्तर अधिशेष वितरण नीति (एसएसडीपी) बनाई गई है (बॉक्स XI.1)।

बॉक्स XI.1

केंद्रीय बैंकों में अधिशेष संवितरण नीति : एक विहंगावलोकन

यह लोक हित में है कि केंद्रीय बैंक अत्यधिक कठिनाइयों के समय में भी अपने लोक हित के कार्यों को प्रभावशाली रूप से जारी रखे। इसलिए, केंद्रीय बैंक को अपनी वित्तीय ताकत को लेकर न्यूनतम स्तर का आत्मविश्वास होना चाहिए और संसाधन अपने अधिकार में होने चाहिए जिससे वह संकट काल में भी अपने कार्यों का निर्वाह प्रभावशाली तरीके से कर सके। केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई अधिशेष वितरण नीति महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है जो उसकी वित्तीय ताकत निर्धारित कर सकती है।

अधिशेष वितरण निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक

अधिशेष वितरण को लेकर विभिन्न केंद्रीय बैंकों में समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता, वह भी उनके भिन्न-भिन्न राजनीतिक और आर्थिक परिवेश को देखते हुए जिसके अंतर्गत वे कार्य करते हैं। अन्य कारक जो अलग-अलग वितरण नीतियों की आवश्यकता पर जोर देते हैं, वह है केंद्रीय बैंकों के जोखिम एक्सपोज़र के विभिन्न स्तरों के साथ-साथ केंद्रीय बैंक और उनके हितधारकों के बीच जोखिम अंतरण प्रक्रियाओं की उपलब्धता। संकट के दौरान यदि किसी विशिष्ट हितधारक की आय भी दबावग्रस्त हो जाती है तो जोखिम अंतरण प्रक्रिया इस लिहाज से भी उतनी प्रभावशाली नहीं होगी।

अधिशेष अंतरण को लेकर अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोण

सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी की संवीक्षा करने पर केंद्रीय बैंकों की अधिशेष वितरण नीति के बहुराष्ट्रीय विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्रीय बैंकों को अधिशेष वितरण के संबंध में मुख्य रूप से निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

ए) अधिशेष प्रतिधारण, हासिल किए जाने वाले प्रावधानों के लक्ष्यित स्तर पर आधारित है। कुछ केंद्रीय बैंक लक्ष्य पूरा नहीं होने के स्थित में प्रावधानों के लक्ष्यित स्तर पर आधारित त्वरित अधिशेष प्रतिधारण का भी अनुसरण करते हैं।

बी) चालू वर्ष के अधिशेष के साथ जोड़े गए संख्यात्मक नियम पर आधारित अधिशेष का प्रतिधारण।

सी) अधिशेष को आसान करना जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमित अधिशेष सरकार को अंतरित किए जाएं और केंद्रीय बैंक की प्रावधानित राशियों की चक्रीयता द्वारा का अधिशेष अंतरण पर प्रभावित न हो ।

अधिशेष वितरण नीति की वांछित विशेषताएं

केंद्रीय बैंक की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को, हासिल किए जाने वाले/ बरकरार रखे जाने वाले वित्तीय लचीलेपन के लक्ष्यित स्तर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय बैंकों के मामले में, प्रावधानित राशियों के समग्र स्तर एवं जोखिम अंतरण व्यवस्थाओं पर विचार किए बगैर वितरण व्यवस्थाओं की वजह से निरंतर भारी अंतरण होते रहने पर केंद्रीय बैंक की वित्तीय ताकत उत्तरोत्तर रूप से कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही, यदि कोई केंद्रीय बैंक अपने तुलन-पत्र में अप्राप्त मूल्यांकन अभिलाभ बनाए रखता है, तो इसे मुख्यतः वितरण-योग्य नहीं माना जाता है। वितरण नीति ऐसी होनी चाहिए कि उससे सरकार को अधिशेष अंतरण सुगमता-पूर्वक हो सके।

जोखिम रजिस्टरों को पूरा करना

XI.39 जोखिम रजिस्टर (आरआर) किसी कारोबारी क्षेत्र (बीए) के कार्य में अंतर्निहित सभी प्रक्रियाओं/ उप-प्रक्रियाओं के साथ-साथ उसके अभिज्ञेय जोखिमों की व्यापक इन्वेन्टरी है। बैंक के प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के लिए आरआर की तैयारी लगभग हो चुकी है और उसे पूरा करते ही समग्र बैंक के लिए जोखिम प्रोफाइल संयुक्त रूप उपलब्ध करायी जाएगी। इससे बैंक के लिए जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क लागू किया जा सकेगा। चूंकि आरबीआईए अब लेखापरीक्षा प्रबंधन एवं जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) के जरिए आरआर का उपयोग करते हुए किये जा रहे हैं, इससे परिचालन जोखिम हेतु इसकी जोखिम आकलन कार्यप्रणाली के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य और जोखिम निगरानी कार्य के साथ जोखिम आकलन और अधिक समाभिरूप हो गया है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क लागू करना

XI.40 जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क (आरटीएफ) के चार प्रमुख घटक इस प्रकार हैं : ए) जोखिम सहनशीलता विवरण को सुस्पष्ट करना, बी) जोखिम सहनशीलता सीमाओं की समीक्षा करना, सी) एकीकृत जोखिम रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन एवं डी) आरटीएफ के अंतर्गत कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की समीक्षा करना।

XI.41 जोखिम सहनशीलता विवरण के रूप में बैंक के जोखिम सिद्धान्त को सुस्पष्ट किया गया है। अन्य तीन घटकों को एक सतत, व्यापक और एकीकृत जोखिम फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए लागू किया जा रहा है।

बड़े और महत्वपूर्ण जोखिमों को कम करने के लिए कार्य योजना

XI.42 विभाग अन्य कारोबारी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपने-अपने जोखिम रजिस्टरों में बड़े और महत्वपूर्ण जोखिम को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। वर्ष के दौरान कम्प्यूटराइज्ड वेब-आधारित जांच सॉफ्टवेयर के निर्माण का जो कार्य चल रहा है उससे यह प्रक्रिया और मजबूत होगी।

रिज़र्व बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण

XI.43 रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण से शीर्ष प्रबंधन एवं केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्राप्त होता है। ये निरीक्षण जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण एवं गवर्नेन्स प्रक्रियाओं की जांच की जाती हैं। निरीक्षण विभाग केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीखा एवं जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का निरीक्षण करने वाली कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) का सचिवालय भी है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.44 एएमआरएमएस में आरबीआईए मॉड्यूल को लागू करने के साथ ही जुलाई 2017 में लेखापरीक्षा प्रक्रिया का स्वचालन प्रारंभ हुआ जो भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में सफलतापूर्वक चल रहा है। सभी लेखापरीक्षित कार्यालयों के लिए आरबीआईए अनुपालन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लागू किया गया जो अगस्त 2017 में लाइव हुआ। आरबीआईए प्रक्रिया के स्वचालन से जोखिम आकलन कार्यप्रणाली – परिचालन जोखिम (आरएएम-ओआर) एवं काफी हद तक निरीक्षण विभाग की कार्यप्रणाली के अनुसार जोखिम की रेटिंग में समाभिरूपता में मदद मिली। वर्ष के दौरान, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्र में सभी लेखापरीक्षित कार्यालयों में उपयोगकर्ता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

XI.45 संवेदनशीलता आकलन एवं भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ डेटा सेन्टर व सीबीएस एप्लीकेशन (ई-ट्रेजरी मॉड्यूल सहित) की तकनीकी लेखापरीक्षा जो 2016 में सम्पन्न हुई थी वह समाप्त कर दी गई और इसकी अनुपालन लेखापरीक्षा की गई ताकि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के संबंध में कारोबारी स्वामित्व वाले विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की निरंतरता की जांच की जा सके (बॉक्स XI.2)।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.46 एएमआरएमएस एप्लीकेशन के आरबीआईए मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद, समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) एवं स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) से संबंधित अन्य दो प्रमुख व्यावहारिकताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया जाएगा। चुनिंदा महत्वपूर्ण आईटी एप्लीकेशन्स की वीएपीटी/ तकनीकी लेखापरीक्षा भी आवश्यकतानुसार की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.47 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) बैंक के लिए समन्वयन का कार्य करता है एवं कार्यनीति और वार्षिक कार्य योजना बनाता है। तत्पश्चात, प्रत्येक तिमाही के अंत में कार्य बिन्दुओं की पूर्णता की स्थिति का आकलन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया गया। विभाग रिज़र्व बैंक का वार्षिक बजट भी बनाता है जिसके लिए प्राथमिकताओं और समय-सीमाओं के संदर्भ में बिजनेस यूनिट्स की वार्षिक कार्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधि के आधार पर बजट निर्धारित किया जाता है। बिजनेस यूनिट्स द्वारा किए गए व्यय की भी प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जाती है ताकी बजट अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।

XI.48 यह विभाग कारोबारी निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) के जरिए कारोबारी व्यवधानों को रोकने की जिम्मेदारी का भी निर्वाह करता है। विभाग ने एक मजबूत बीसीपी का निर्माण कर उसे लागू किया है ताकि व्यवधानों को रोकने के लिए एक लचीला फ्रेमवर्क बनाया जा सके।

बॉक्स XI.2
बैंक में महत्वपूर्ण आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का संवेदनशीलता आकलन एवं भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी)

आईटी के संबंध में जोखिम आश्वासन देने के लिए निरीक्षण विभाग बैंक में सूचना प्रणाली के क्षेत्र में दो प्रकार की लेखापरीक्षा करता है। पहला, आरबीआईए फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में आंतरिक संसाधनों द्वारा सूचना प्रणालियों (आईएस) की लेखापरीक्षा की जाती है ताकि बैंक की आईएस नीति के अनुसार सूचना प्रणालियों में जोखिम नियंत्रण उपायों का मूल्यांकन किया जा सके। आईएस लेखापरीक्षा का दायरा आईटी प्रणालियों में प्रायः लेखापरीक्षा टिप्पणियों तक सीमित होती है और इसमें नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स (ओएस), डेटाबेस या एप्लीकेशन अनुप्रयोगों (फंक्शनैलिटीज़) के संदर्भ में विभिन्न संवेदनशीलताओं की विस्तार से समीक्षा नहीं की जाती है।

दूसरे, बाद वाले मामलों को हल करने के लिए विभाग द्वारा संवेदनशीलता आकलन एवं भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी) और आईटी एप्लीकेशन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस, नेटवर्क रिसोर्सस आदि की तकनीकी लेखापरीक्षा भी की जाती है ताकि बैंक में चल रही इन प्रणालियों का पूर्ण संवेदनशीलता विश्लेषण किया जा सके। वीए-पीटी उन विद्यमान संवेदनशीलताओं का पता लगाता है जिनका दुरुपयोग करके बाहरी या भीतरी घुसपैठिये(हैकर्स) बैंक की आईटी आस्तियों को क्षति पहुंचा सकते हैं। भेद्यता परीक्षण प्रणाली में संवेदनशीलताओं के दुरुपयोग को अज़माता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अप्राधिकृत पहुंच या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधि संभव है और ऐसी त्रुटियों का पता लगाता है जिनसे एप्लीकेशन को खतरा हो सकता है। भेद्यता परीक्षण ऐसी त्रुटियों का पता लगाता है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है और ऐसी त्रुटियों/ अतिक्रमणों की तीव्रता को नापता है।

यह परीक्षण परिचालनों/ प्रणालियों की गंभीरता/ महत्ता पर विचार करते हुए या तो केंद्रीय बोर्ड/ लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)/ सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटीएससी) / शीर्ष प्रबंध के निर्देशों अथवा कारोबारी स्वामित्व वाले विभाग/उपयोगकर्ता विभाग/ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त अनुरोध या विभाग की आवश्यकता के मुताबिक किया जाता है।

बैंक सामान्यतः वीए-पीटी का कार्य उसकी सूची में शामिल (सूचीबद्ध सीईआरटी-इन) लेखापरीक्षा फर्मों में से किसी बाह्य लेखापरीक्षा फर्म को आउटसोर्स करता है ताकि संवेदनशीलताओं का पता लगाया जा सके और उसका वर्गीकरण किया जा सके। ऐसा करने से बैंक के आईटी सुरक्षा दल को गंभीर संवेदनशीलताओं को कम करने के संबंध में ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है।

नेटवर्क रिसोर्सस, ओएस एवं डेटा सेन्टर के डेटाबेस का वीए-पीटी पहले ही किया जा चुका था। इस प्रयोग के जरिए नेटवर्क सुरक्षा, फिज़िकल व लाजिकल एक्सेस कन्ट्रोल, सर्वर, ओएस एवं डेटाबेस सुरक्षा के संदर्भ में आरबीआई में आईएस सुरक्षा के संपूर्ण स्वास्थ्य को आंका जाता है। महत्वपूर्ण एप्लीकेशन्स की संवेदनशीलताओं का पता लगाने एवं उसका समाधान करने से बैंक को आईटी के संबंध में जोखिम आश्वासन प्राप्त होता है।

2016-17 के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सिस्टम एवं एनजी-आरटीजीएस सिस्टम का वीए-पीटी भी किया गया था ताकि इन दोनों सिस्टम्स से जुड़ी संवेदनशीलताओं, यदि कोई हैं, का पता लगाया जा सके एवं उसका समाधान किया जा सके।

वीए-पीटी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ डेटा सेन्टर की तकनीकी लेखापरीक्षा के समापन के बाद इसकी अनुपालन लेखापरीक्षा मई 2018 में की गई ताकि अनुपालन की गुणवत्ता, पर्याप्तता एवं उसकी निरंतरता का आकलन किया जा सके तथा आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

2018-19 के दौरान, विभाग द्वारा आवश्यक आईटी आस्तियों का वीए-पीटी जारी रखा जाएगा जिसमें बैंक के महत्वपूर्ण आईटी एप्लीकेशन्स, ओएस, डेटाबेस, नेटवर्क रिसोर्सस, आदि शामिल हैं।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.49 विभाग ने सभी लेखा यूनिटों के गतिविधि आधारित बजटों के कार्यान्वयन की निष्ठापूर्वक जांच की है। विभाग ने बैंक की कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति तैयार की है, जिसे केंद्रीय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) के संबंधित बिजनेस यूनिटों के साथ परामर्श करके उनके लिए बीसीपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग ने आईजीआईडीआर, कैफरल, एनआईबीएम और आईआईबीएम जैसी बाह्य वित्तपोषित संस्थाओं (ईएफआई) के प्रबंधन मंडलों एवं उनकी उप-समितियों की बैठकें आयोजित करने के अलावा एनआईबीएम के प्रबंधन मंडल के पुनर्गठन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने आईआईबीएम, आईजीआईडीआर एवं कैफरल के लिए समीक्षा समितियों की बैठकों में मदद की एवं रिपोर्ट तैयार की जिसका गठन उनके कार्यनिष्पादन का

आकलन करने एवं भावी योजना बनाने के लिए किया गया था। इन समितियों की रिपोर्टों की जांच की जा रही है। वर्ष के दौरान, गंगटोक, अगरतला एवं शिलांग में स्थित कार्यालयों को अपग्रेड करते हुए अलग लेखा यूनिट बनाए गए।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.50 आगामी वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में कार्य एवं बजट दोनों के संदर्भ में सीओडी के रणनीतिक कार्य बिंदुओं और उनके बजटों के बीच लिंकेज स्थापित करना, लक्ष्यों और प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों के बीच की दूरी को कम करने के लिए नियंत्रण कार्य विकसित करना शामिल हैं। इस दिशा में, वर्ष के दौरान बैंक का मध्यावधि विज़न वक्तव्य तैयार किया जाएगा। बैंक में बीसीएम को सुदृढ़ करने के लिए, विभिन्न संकटकालीन स्थितियों से प्राप्त जानकारियों का एक निक्षेपागार तैयार किया जाएगा और उससे मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख को सभी जोखिमधारकों में प्रसारित किया जाएगा ताकि बीसीएम को और बेहतर किया जा सके।

कॉर्पोरेट सेवाएं

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.51 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) परियोजना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक नींव रखी जा चुकी है ताकि जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा एवं स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा के जरिए बेहतर निगरानी करते हुए अभिलेख प्रबंध नीति (आरएमपी) के अनुसार अनुपालन को सुदृढ़ किया/ मजबूत बनाया जा सके। अभिलेखों की परिरक्षण अवधि के संबंध में वर्तमान नियमों के अनुसार पुराने अभिलेखों की छंटनी की जा रही है। अभिलेखों की परिरक्षण अवधियों की भी समीक्षा की जा रही हैं। विभाग द्वारा आरबीआई पुरालेख के साथ समन्वय किया जा रहा है ताकि अभिलेख प्रबंध नीति की समीक्षा की जा सके।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.52 ईडीएमएस परियोजना के संबंध में, अभिलेखों की परिरक्षण अवधि के साथ-साथ परिरक्षित किए जाने वाले अभिलेखों के बारे में नीतिगत उपाय स्पष्ट किए जाएंगे।

राजभाषा

XI.53 रिज़र्व बैंक ने राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा ताकि 2017-18 के दौरान अपने कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सके।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.54 वर्ष के दौरान 80 स्टाफ-सदस्यों ने प्राज्ञ[1] और 230 ने पारंगत[2] परीक्षा उत्तीर्ण की। कम्प्यूटरों पर हिंदी कार्य के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ-सदस्यों को कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। टिप्पण और पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बैंक में 151 कार्यशालाएं (मार्च 2018 तक) आयोजित की गयीं जिसमें केन्द्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) और क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर आयोजित की गई वरिष्ठ अधिकारियों हेतु हिंदी कार्यशालाएं शामिल हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों व सीओडी में 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया और कई हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।

XI.55 क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए गुजराती और मराठी में शिक्षण सामग्री तैयार की गयी। ऐसी सामग्री क्षेत्र 'ग' की आठ अन्य भाषाओं (तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ओड़िया, बांग्ला, असमी एवं कोंकणी) के लिए पहले ही तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा, क्षेत्र 'ग' में स्थानांतरित अधिकारियों के लिए हिंदी माध्यम से क्षेत्रीय भाषा (बांग्ला, कन्नड़, ओड़िया, तमिल, तेलुगु और मलयालम) सीखने के लिए भी शिक्षण सामग्री तैयार की गयी ताकि उन्हें स्थानीय भाषाओं में बात करने में आसानी हो सके। राजभाषा अधिकारियों के लिए 13-15 अप्रैल 2018 के दौरान एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

[1] यह परीक्षा उनके लिए आयोजित की गई थी जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।
[2] हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उच्चतम परीक्षा।

प्रशिक्षण

XI.56 राजभाषा अधिकारियों को प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था ताकि वे अपनी दक्षता में वृद्धि कर सके। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज, चेन्नै में विधिक दस्तावेजों, वित्तीय एवं बैंकिंग शब्दावलियों के अनुवाद से संबंधित एक अनुवाद कार्यशाला आयोजित की गयी।

XI.57 वर्ष के दौरान, *'बैंकिंग कल, आज और कल'* शीर्षक से एक हिंदी पुस्तक प्रकाशित की गयी थी। बैंक की हिंदी पत्रिका *बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन* को एसोसिएशन आफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स आफ इंडिया (एबीसीआई) से रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक के सांविधिक प्रकाशनों, अर्थात, *वार्षिक रिपोर्ट* और *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति की रिपोर्ट*, *वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट*, *साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक* तथा *भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन* को भी द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किया गया और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। *राजभाषा समाचार* उसके ई-वर्शन के साथ एवं बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को दर्शाते हुए *राजभाषा की वार्षिक रिपोर्ट* प्रकाशित की गयीं।

प्रोत्साहन

XI.58 अकादमिक क्षेत्र में बैंकिंग विषय पर हिंदी में उत्कृष्ट पुस्तक लेखन हेतु प्रोत्साहन योजना चलन में है ताकि लेखकों का उत्साहवर्द्धन किया जा सके, इसकी पुरस्कार राशि ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपए मात्र) है। वर्ष के दौरान एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता और सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए हिंदी/द्विभाषी गृह पत्रिका प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

संसदीय समिति का दौरा

XI.59 संसदीय राजभाषा समिति (तीसरी उप-समिति) ने 12 फरवरी 2018 को रिज़र्व बैंक के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का निरीक्षण और समीक्षा की जा सके। उप-समिति ने बैंक में हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सुझाव दिए और यह भी कहा कि बैंक के कामकाज के सभी क्षेत्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु गहन प्रयास किए जाएं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.60 भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में 2018-19 के लिए एक वार्षिक कार्य योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा रिपोर्टिंग की नई प्रणाली के सभी मॉड्यूलों को क्रियान्वित करना 2018-19 का एक और मुख्य एजेंडा है।

परिसर विभाग

XI.61 रिज़र्व बैंक के भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, रखरखाव और उन्नयन करना परिसर विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। 2017-18 के दौरान नई गतिविधियों के प्रारंभ होने के साथ ही इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न हुए।

2017-18 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन स्थिति

XI.62 वर्ष के दौरान परिसर विभाग ने दो केन्द्रों पर कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी जहां रिज़र्व बैंक किराए के परिसरों से कार्य कर रहा था। सामान्य सुविधाओं सहित अधिकारियों के क्वाटर्स का निर्माण कार्य एक केन्द्र पर आंशिक रूप से अधिगृहीत किया गया है और एक अन्य केन्द्र पर पूर्ण हो चुका है। कैफरल (सीएएफआरएएल) के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और आवासीय क्वाटर्स का निर्माण कार्य चार केन्द्रों पर प्रारंभ हो गया है।

XI.63 विभाग का एक अन्य प्रमुख कार्यक्षेत्र बैंक के सभी परिसरों में सौर ऊर्जा के रूप में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना है। ग्रिड के साथ जोड़े जाने योग्य सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं को विभिन्न परिसरों में क्षमता वृद्धि के लिए स्थापित किया गया है और कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 972 केडब्लूपी के स्तर पर पहुंच गई है। जल संरक्षण और इसके प्रभावी उपयोग के लिए बैंक के विविध परिसरों में वर्षा जल संचयन संयंत्र लगाए गए हैं।

XI.64 ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप ई-टेंडर प्रक्रिया पिछले वर्ष प्रारंभ कर दी गई थी जो वर्ष के दौरान स्थापित हो गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग ने बैंक में परिधिक सुरक्षा को मजबूत किया है और इसके लिए अधुनातन इंटरनेट प्रोटोकोल आधारित सीसीटीवी (आईपीसीसीटीवी) प्रणाली 20 कार्यालयों में प्रारंभ कर दी है और केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई में भी एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) संस्थापित कर दी है। आईएसएस विभिन्न मौजूदा और नयी भौतिक सुरक्षा प्रणालियों जैसे कि अग्नि चेतावनी प्रणाली, एक्स-रे सामान स्कैनर, क्रैश रेटेड बैरियर, लिफ्ट निगरानी प्रणाली और आईपीसीसीटीवी के साथ सीढ़ियों पर दबाव चिह्नन प्रणाली को आपस में जोड़ता करता है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.65 दो केंद्रों पर कार्यालय भवनों के लिए और आवासीय उद्देश्यों के लिए जमीन अधिग्रहण संबंधी औपचारिकताएं चल रही हैं। तीन केंद्रों पर कार्यालय भवनों का निर्माण और एक अन्य केंद्र पर आवासीय कॉलोनी का निर्माण 2018-19 के दौरान प्रारंभ होने की आशा है। चार अन्य केंद्रों पर भी आवासीय कॉलोनियों की योजना बनाई गई है । एक अवकाश गृह तथा आवासीय कॉलोनी का पुन: निर्माण करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान सभी परिसरों में पानी और बिजली के और अधिक संरक्षण के लिए हरित पहल के रूप में योजना बनाई गई है।

क्षेत्रीय कार्यालय

XI.66 रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय अग्रगामी एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं और बैंक के विविध उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यद्यपि नीति निर्माण की भूमिका मुख्यतया मुंबई स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में सीमित है तथापि 31 क्षेत्रीय कार्यालय और उप कार्यालय देश-भर में इन नीतियों को लागू करने में लगे रहते हैं। करेंसी की उपलब्धता और गुणवत्ता और सिक्कों का परिचालन सुनिश्चित करना; निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना और शिकायत निवारण प्रणाली का प्रबंधन करना बैंक के किसी क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य दायित्व होता है। ग्रेड 'एफ' रैंक के किसी अधिकारी को सामान्य रूप से क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभारी बनाया जाता है और उसे क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पद नामित किया जाता है। विभिन्न ग्रेड के स्टाफ सदस्यों की टीम आरडी की मदद के लिए होती है। कुछ छोटे क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रेड 'ई' अधिकारी को प्रमुख बनाया गया है और उसे प्रभारी अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

XI.67 मई 2015 से रिजर्व बैंक के कार्यालयों को तीन स्तरों में श्रेणीकृत किया गया है (श्रेणी I- मेट्रो शहर, श्रेणी II- गैर मेट्रो शहर और श्रेणी III -छोटे कार्यालय)। श्रेणी I और II कार्यालयों के विभागों को संगठित कर चार क्लस्टरों में बांटा गया है : (i) पर्यवेक्षण, बाजार आसूचना और अनुसंधान; (ii) मुद्रा और बैंकिंग सेवाएं; (iii) वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा और (iv) एचआरएम और इंफ्रास्ट्रक्चर जबकि श्रेणी III के कार्यालयों के विभागों को तीन क्लस्टरों में संगठित किया गया है (i) पर्यवेक्षण और बाजार आसूचना; (ii) वित्तीय समावेशन/ वित्तीय साक्षरता, जन जागरूकता, ग्राहक सेवा, अनुसंधान और (iii) मानव संसाधन विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर। कार्यालयों में बाजार आसूचना यूनिटों/ कक्षों को भी स्थापित किया गया है ताकि वित्तीय क्षेत्र में उभरने वाले नए रुझानों की पहचान की जा सके और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली

कुप्रथाओं के संबंध में पूर्व चेतावनी प्राप्त कर बैंक की मदद की जा सके और इन गतिविधियों से उत्पन्न खतरों को भांपा जा सके जिनसे जनता को नुकसान पहुंचता है।

XI.68 क्षेत्रीय कार्यालयों के कुछ मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:-

ए) क्षेत्रीय कार्यालय में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग राज्य में मौजूद बैंकों के मुख्यालय का ऑन-साइट निरीक्षण करने और बैंक शाखाओं की करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग के अधिकारी भी नियमित रूप से बैंक शाखाओं का 'औचक दौरा' करते हैं ताकि सामान्य बैंकिंग सेवाएं, मुद्रा प्रबंधन, फोरेक्स और सरकारी कारोबार के क्षेत्र में बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके।

बी) क्षेत्रीय कार्यालयों में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) मुख्यतया राज्य में अग्रणी बैंक योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग एफआईडीडी, केंद्रीय कार्यालय द्वारा बैंकों को जारी किए गए विविध अनुदेशों और दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है।

सी) क्षेत्रीय कार्यालयों में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) अपने संबंधित राज्य में अंतर-एजेंसी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की तिमाही बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए निवेशक जागरूकता अभियानों को भी आयोजित करता है और साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी भाग लेता है। जागरूकता अभियानों का उद्देश्य आम जनता में प्रचलित झूठी ई-मेलों और एसएमएस के विषय में उन्हें शिक्षित करना होता है जो 'अनैतिक निकायों द्वारा राशियों को अवैध रूप से जुटाने', 'विदेशों से सस्ती निधि की आपूर्ति की पेशकश करने' आदि से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग पुलिस प्राधिकारियों और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) को संकाय सहायता भी प्रदान करता है ताकि अनैतिक निकायों द्वारा निधियों को अवैध रूप से जुटाने के संबंध में वित्तीय जागरूकता फैलाई जा सके।

डी) क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्गम विभाग अपने निर्गम क्षेत्र में करेंसी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता का प्रबंध करने में सहायता देता है। यह विभाग करेंसी की मुख्य विशेषताओं, नोट वापसी नियमावली और जाली भारतीय करेंसी नोट के संबंध में आम जनता, बैंकरों और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना प्रसारण करने के प्रयासों हेतु अग्रसक्रिय उपाय भी करता और इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता हैं अथवा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अन्य संस्थाओं में पेशेवरों को नामित भी करता है।

ई) क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्राहक शिक्षा और संरक्षण कक्ष (सीईपीसी) रिजर्व बैंक और क्षेत्रीय स्तर पर रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित निकायों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में कमी के संबंध में शिकायत निवारण प्रणाली परिचालित करता है।

एफ) क्षेत्रीय कार्यालयों में सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट पर्यवेक्षण दोनों ही करता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मजबूत आधार पर इस प्रकार कार्य करें जो जमाकर्ताओं के हितों को हानि न पहुंचाए। शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित मुद्दे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित कार्य दल(टैफकब) के समक्ष उठाए जाते हैं।

जी) क्षेत्रीय कार्यालयों में विदेशी मुद्रा विभाग यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में किए जाएं। यह विदेशी मुद्रा

प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों का निर्धारण और दंड, यदि कोई हो, को निर्धारित करता है। यह प्राथमिक डीलरों और पूर्ण रूप से मुद्रा परिवर्तकों का निरीक्षण भी करता है।

एच) क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग विभाग बैंकों और संबंधित राज्य सरकार/रों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक के दायित्वों को पूरा करता है।

XI.69 रिजर्व बैंक के अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय भी होता है जो बैंकिंग लोकपाल योजना को क्रियान्वित करता है ताकि बैंक ग्राहकों को वाणिज्यक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में कमी से संबंधित अपनी शिकायतों के समाधान हेतु एक तेज और किफायती मंच उपलब्ध हो सके।

अनुबंध

सारणी 1: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
ऊर्जित आर. पटेल	8(1)(ए)	6	6
एस. एस. मूंदड़ा	8(1)(ए)	1	1
एन. एस. विश्वनाथन	8(1)(ए)	6	6
विरल वी. आचार्य	8(1)(ए)	6	6
बी.पी. कानूनगो	8(1)(ए)	6	6
एम. के. जैन	8(1)(ए)	शून्य	शून्य
नचिकेत एम. मोर	8(1)(बी)	4	4
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(बी)	2	2
दिलीप एस. संघवी	8(1)(बी)	2	2
नटराजन चन्द्रसेकरन	8(1)(सी)	6	4
भरत एन. दोशी	8(1)(सी)	6	6
सुधीर मांकड	8(1)(सी)	6	6
राजीव कुमार	8(1)(सी)	2	2
अशोक गुलाटी	8(1)(सी)	6	5
मनीष सभरवाल	8(1)(सी)	6	6
शशिकांत दास	8(1)(डी)	1	0
सुभाष चंद्र गर्ग	8(1)(डी)	5	4
अंजली छिब दुग्गल	8(1)(डी)	2	0
राजीव कुमार	8(1)(डी)	4	3

सारणी 2: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
उर्जित आर. पटेल	8 (1)(ए)	46	37
एस. एस. मूंदड़ा	8 (1)(ए)	3	3
एन. एस. विश्वनाथन	8 (1)(ए)	46	29
विरल वी. आचार्य	8 (1)(ए)	46	42
बी. पी. कानूनगो	8 (1)(ए)	46	40
एम. के.जैन	8 (1)(ए)	1	1
नचिकेत एम. मोर	8(1)(बी)	21	17
नटराजन चन्द्रसेकरन	8(1)(सी)	19	8
भरत एन. दोशी	8(1)(सी)	32	29
सुधीर मांकड	8(1)(सी)	22	18
अशोक गुलाटी	8(1)(सी)	21	12
राजीव कुमार	8(1)(सी)	3	0
मनीष सभरवाल	8(1)(सी)	23	19
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(बी)	6	6
दिलीप एस. संघवी	8(1)(बी)	7	7
सुभाष चंद्र गर्ग	8(1)(डी)	2	2
राजीव कुमार	8(1)(डी)	1	1
II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
उर्जित आर. पटेल	अध्यक्ष	10	9
एस. एस. मूंदड़ा*	उपाध्यक्ष	शून्य	शून्य
एन. एस. विश्वनाथन^	उपाध्यक्ष	10	10
विरल वी. आचार्य	सदस्य	10	10
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	10	8
एम. के.जैन @	सदस्य	1	1
नचिकेत एम. मोर**	सदस्य	9	9
भरत एन. दोशी	सदस्य	10	10
सुधीर मांकड	सदस्य	10	7
अशोक गुलाटी	सदस्य	10	8
* : 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न से उप गवर्नर के रूप में प्रभार त्याग दिया। ^ : 30 अगस्त 2017 से बीएफएस के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत। ** : 09 सितंबर 2017 से बीएफएस के सदस्य के रूप में नियुक्त। @ : 22 जून 2018 से उप गवर्नर के रूप में प्रभार सँभाला।			
III. भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण (बीपीएसएस) बोर्ड			
उर्जित आर. पटेल	अध्यक्ष	3	3
बी. पी. कानूनगो	उपाध्यक्ष	3	3
एस. एस. मूंदड़ा*	सदस्य	1	1
एन. एस. विश्वनाथन	सदस्य	3	2
विरल वी. आचार्य	सदस्य	3	2
एम. के.जैन**	सदस्य	शून्य	शून्य
नटराजन चन्द्रसेकरन	सदस्य	3	3
मनीष सभरवाल	सदस्य	3	2
* : 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न से उप गवर्नर के रूप में प्रभार त्याग दिया। ** : 22 जून 2018 से उप गवर्नर के रूप में प्रभार सँभाला।			

सारणी 3: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
भरत एन. दोशी	अध्यक्ष	8	8
सुधीर मांकड	सदस्य	8	5
नचिकेत एम. मोर*	सदस्य	6	5
एस. एस. मूंदड़ा**	आमंत्रिती	1	0
एन. एस. विश्वनाथन	सदस्य	8	8
विरल वी. आचार्य	आमंत्रिती	8	7
बी. पी. कानूनगो	आमंत्रिती	8	8
एम. के. जैन	आमंत्रिती	1	1
* : 15 मई 2017 को केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में उनकी अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यता समाप्त हुई और 24 अगस्त 2017 को केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त/ पुन: नामित होने पर उन्हें एआरएमएस में पुन: नामित किया गया। ** : 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न से उप गवर्नर के रूप में प्रभार त्याग दिया।			
II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
दिलीप एस. संघवी	अध्यक्ष	1	1
राजीव कुमार*	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
बी. पी. कानूनगो**	सदस्य	1	1
एम. के. जैन@	सदस्य	शून्य	शून्य
* : 3 सितंबर 2017 तक। ** : 21 जून 2018 तक। @ : 22 जून 2018 से।			
III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	5	5
दिलीप एस. संघवी	सदस्य	2	2
एस. एस. मूंदड़ा*	सदस्य	शून्य	शून्य
विरल आचार्य@	सदस्य	5	5
* : 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न तक। @ : 31 जुलाई 2017 से।			
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटीएससी)			
मनीष सभरवाल@	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
नटराजन चन्द्रसेकरन*	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
राजीव कुमार**	सदस्य	शून्य	शून्य
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	शून्य	शून्य
* : अध्यक्ष 6 जून 2018 तक। ** : 3 सितंबर 2017 तक। @ : 7 जून 2018 से अध्यक्ष।			

सारणी 4: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3
बी. पी. कानूनगो, अध्यक्ष	1	1
अशोक गुलाटी*	1	1
प्रसन्न कुमार मोहंती**	शून्य	शून्य

* : उत्तरी स्थानीय क्षेत्र के लिए।
** : दक्षिणी स्थानीय क्षेत्र के लिए।

सारणी 5: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
नचिकेत एम. मोर, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
सुनील मित्रा, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
वी. आर. भंसाली, डब्लूएएलबी	धारा 9(1)	3	3
दिलीप एस. संघवी, डब्लूएएलबी	धारा 9(1)	3	3

ईएएलबी: पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।
डब्लूएएलबी: पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।